Need to relax the criteria for extension of CGHS in cities not having the minimum specified number of Central Government employees-laid

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल **(**हमीरपुर**):** देश में डाक विभाग सहित केंद्र सरकार के अन्य विभागों में विशेषकर उन नगरों व कस्बों में जहाँ केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या कम है उनको अपने नियुक्ति स्थान वाली बसावट में CGHS की सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पा रही है और इन सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उन्हें यथा स्थिति में नजदीक के नगर में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं के ही भरोसे रहना पड़ता है जिसमें अनावश्यक धन और समय की बर्बादी होती है और मेडिकल सुविधाएँ में सम्यक रूप से नहीं मिल पाती हैं। अतः यदि किसी नगर/कस्बे में केंद्रीय संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या CGHS मेडिकल केंद्र हेतु मानक संख्या से कम भी है तो या तो इस मानक संख्या को संशोधित करके और व्यवाहिरक बनाया जाये या कतिपय निम्न उपायों पर विचार किया जाये 1. विशेषकर डाक विभाग के कर्मचारियों को जिनकी तैनाती ऐसे मंडलों में हैं जहाँ उन कर्मचारियों को CGHS की सुविधा नहीं है वहां उन कर्मचारियों को कार्डलैस मेडिकल सुविधा प्राप्ति की व्यवस्था हो 2. कर्मचारियों के लिए समूह बीमा **(**ग्रुप इन्शुरन्स **)** प्रीमियम को वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार व्यवहारिक बना कर प्राप्त होने वाली बीमा राशि को सुसंगत बनाया जाए जिसका लाभ कर्मचारियों को मिल सके।